उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्याः 1010-गोपन-06/पाकालि/26-05-सा0गो0/2020 दिनांकः 17 मार्च, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-453/CE(IV)/SEB-78/92-GM/1976 Dated 16.02.1978 में निहित व्यवस्था, जो स्तम्भ-1 में प्राविधानित हैं, को स्तम्भ-2 के अनुसार संशोधित करते हुए एतदद्वारा निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं उससे पूर्व के वर्षों हेतु पूर्व निहित व्यवस्था (स्तम्भ-1)	प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 एवं अग्रेतर वर्षो हेतु प्रतिसथापित व्यवस्था (स्तम्भ-2)
6. COMMUNICATION OF ADVERSE REMARKS : ***(i)*** *Adverse remarks recorded in the A.C.R. of an officer/official should invariably be communicated to the officer/official concerned* ***in writing and his acknowledgement should be obtained.***	Master Admin द्वारा ई०आर०पी० पर, सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय आख्या को पूर्ण किये जाने के उपरांत, वार्षिक गोपनीय आख्या को ERP (Employee Self Service Portal) पर **Communicate/संसूचित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। (SOP संलग्न)** उपरोक्तानुसार किये गए संसूचन को ही **आधिकारिक संसूचन** माना जायेगा।

निदेशक(का०प्र०एवंप्रशा०)

संख्याः 1010-गोपन-06/पाकालि/26-05-सा0गो0/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(2) निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(3) निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/मध्यान्चल/दक्षिणान्चल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

(5) निदेशक(का०प्र०एवंप्रशा०)/ निदेशक(वाणिज्य)/ निदेशक(वितरण)/निदेशक(पारेषण)/निदेशक (वित्त)/ निदेशक(तकनीकी)/निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग)/निदेशक(कार्य एवं परियोजना)/ निदेशक(ऑपरेशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), मध्यांचल वि०वि०नि०लि, लखनऊ/पूर्वांचल वि०वि०नि०लि, वाराणसी/ पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि, मेरठ/ दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि, आगरा/ केस्को, कानपुर।

(7) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी प्रांगण, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(8) समस्त मुख्य अभियंता (स्तर 1/स्तर 2), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(9) समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/अवर अभियंता, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(10) महाप्रबन्धक(लेखा प्रशासन)/उप-महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन)/समस्त मुख्य लेखाधिकारी/ समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/समस्त लेखाधिकारी/समस्त सहायक लेखाधिकारीगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(11) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(12) कारपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/ शिविर।

(13) समस्त नामित Discom ACR Admin/Transco ACR Admin/Master ACR Admins को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(14) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को समस्त अधिकारियो को संज्ञानार्थ प्रेषित किये जाने हेतु उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

(रवि कुमार)
उपसचिव (गोपन)

वर्ष 2024-25 एवं अग्रेतर हेतु, ई०आर०पी० पर, कार्मिक की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रदतत ग्रेडिंग/ प्रतिकूल प्रविष्टि के संसूचन एवं उक्त के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण विषयक

Standard Operating Procedure

1. उ०प्र०पा०का०लि० एवं उ०प्र०पा०का०ट्रां०लि० में कार्यरत अभियंता एवं गैर अभियंता अधिकारियों एवं अवर अभियंताओ द्वारा अपनी Hierarchy check करने के उपरांत ही वार्षिक गोपनीय आख्याओ में प्रतिवेदन अवधि में अपने धारित पदानुसार अपनी ACR भरते हुए ई०आर०पी में अपनी वार्षिक गोपनीय आख्या भरी जाएँगी।
2. यदि प्रतिवेदी द्वारा ACR भरने से पूर्व, Hierarchy check किये जाने पर, पाया जाता है कि सम्बन्धित अवधि की ACR में गलत Hierarchy दर्ज हैं, तो प्रतिवेदी सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा नामित Discom Admin से संपर्क कर उक्त अवधि की ACR में Hierarchy सही कराकर अपनी ACR में स्वांकन अंकन करेगा।
3. प्रतिवेदी द्वारा वार्षिक गोपनीय आख्या भरे जाने के उपरांत सभी प्रविष्टिकर्ता अधिकारियो द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना मूल्यांकन किया जाएगा।
4. यदि किसी स्तर पर प्रविष्टिकर्ता अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उनके पास अग्रसारित ACR किसी ऐसे कार्मिक की है, जिसकी सम्बन्धित अवधि की ACR में मूल्यांकन किये जाने हेतु वे अधिकृत नहीं है, तो प्रविष्टिकर्ता अधिकारी उक्त अवधि की ACR में Wrong Hierarchy दर्ज कर ACR अग्रसारित कर देंगे।
5. ऐसी सभी Wrong Hierarchy दर्ज की गयी ACR, कारपोरेशन आदेश संख्या-450-गोपन-06/पाकालि/25-05-सा०गो०/2020 दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानानुसार निरस्त कर दी जायेगी। जिसके उपरान्त प्रतिवेदी को सम्बन्धित Discom Admin से संपर्क कर पुनः उक्त अवधि की ACR का Correct Hierarchy का Form Generate करवाकर अपनी ACR के स्वांकन में अंकन करना होगा।
6. प्रविष्टिकर्ता अधिकारी/अधिकारियो के समक्ष लंबित वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिवेदी को ESS Portal पर अपनी ACR का Status "Waiting for Remarks" दिखाई देगा। साथ ही जिस प्रविष्टिकर्ता अधिकारी के स्तर पर ACR लम्बित रहेगी, उसका नाम एवं SAP ID भी ESS Portal पर प्रदर्शित होगा।
7. वार्षिक गोपनीय आख्या में अंतिम प्रविष्टिकर्ता अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किये जाने के उपरांत सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय आख्या Master Admin के पास परीक्षण हेतु लंबित प्रदर्शित होगी जिसपर प्रतिवेदी को ESS Portal पर अपनी ACR का Status "Pending with Admin" दिखाई देगा।
8. Master Admin द्वारा वार्षिक गोपनीय आख्याओ का परीक्षण किये जाने के उपरांत ही वार्षिक गोपनीय आख्या को पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
9. वार्षिक गोपनीय आख्या को पूर्ण किये जाने पर प्रतिवेदी को ESS Portal पर अपनी

ACR का Status **"Complete"** दिखाई देगा।

10. Master Admin द्वारा वार्षिक गोपनीय आख्याओ को पूर्ण किये जाने के उपरांत वार्षिक गोपनीय आख्या का ERP पर **Communication/आधिकारिक संसूचन** किये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी:-

क. जिन पदों से, श्रेष्ठता एवं वरिष्ठता आधारित चयन होते हैं, उन पदों पर कारपोरेशन के आदेश संख्या-850/का०वि०नी०एववें०प्र०-29/पा०का०लि/18-24- का०वि०नी/87-एम०एफ दिनांक 26.07.2018 द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 36/1/78-का-2/2013 दिनांक 01.02.2013 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरुद्ध प्रत्यावेदन एवं सहबद्ध मामलो का निपटारा) नियमावली 1995 में दी गयी व्यवस्थानुसार, समस्त स्तरों पर अंकित प्रविष्टियों/मूल्यांकन संसूचित की जाएँगी। तदोपरान्त वार्षिक गोपनीय आख्याओं में प्रदत्त ग्रेडिंग के विरूद्ध, निर्धारित समयावधि में, प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

ख. ऐसी सभी वार्षिक गोपनीय आख्यायें, जिनमें प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा-

I. प्रतिकूल प्रविष्टि,

II. रोकी गई सत्यनिष्ठा अथवा सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में टिप्पणी,

III. परामर्शी प्रविष्टि अथवा अन्य ऐसी कोई टिप्पणी/कथन, अंकित किया हो,

जो Master Admin द्वारा वार्षिक गोपनीय आख्या का परीक्षण किये जाने के उपरांत, संसूचित की जाएगी।

11. Master Admin द्वारा जैसे ही वार्षिक गोपनीय आख्या **Communicate/आधिकारिक संसूचन** कर दी जाएगी, कार्मिक द्वारा उसे अपने ESS Portal में My ACR Application में जाकर Download File अथवा Communicated ACR (जो भी प्रदर्शित हो) पर Click करके सम्पूर्ण वार्षिक गोपनीय आख्या, स्वमूल्यांकन एवं सभी प्रविष्टिकर्ता अधिकारियो के मूल्यांकन सहित देखी जा सकती है।

12. अपनी वार्षिक गोपनीय आख्याओ के **Communicate/आधिकारिक संसूचन** होने के उपरांत उनमे प्राप्त प्रविष्टियों के सापेक्ष प्रतिवेदी अपना **प्रत्यावेदन** निम्न तालिका में उल्लिखित अधिकारियो को अपनी आधिकारिक UPPCL/UPPTCL Domain की ई मेल आई०डी से प्रेषित करेंगे:-

पदनाम	**प्रतिनिधानित अधिकारी**	**कार्यालय पता**	**ई मेल आई०डी**
अभियन्ता एवं गैर अभियंता अधिकारियो हेतु	उपसचिव (गोपन)	कक्ष संख्या 516/527, पंचम तल, शक्ति भवन (मुख्यालय) उ०प्र०पा०का०लि, लखनऊ	Ds.gopan@uppcl.org Gopan06@uppcl.org

अवर अभियंताओ हेतु	वैयक्तिक सहायक (पंचम) कृते मुख्य अभियंता (हाईडिल) कार्यालय	तृतीय तल, शक्ति भवन (विस्तार) उ०प्र०पा०का०लि, लखनऊ	Pa5.hydel@uppcl.org Ce.hydel@uppcl.org

13. उपरोक्त सभी **Communicated/आधिकारिक संसूचित** वार्षिक गोपनीय आख्याओ में की गयी प्रविष्टियों के विरुद्ध, निर्धारित समयावधि में ही प्राप्त प्रत्यावेदनो का निस्तारण, कारपोरेशन के आदेश संख्या-453/CE(IV)/SEB-78/92-GM/1976 दिनांक 16.02.1978 एवं आदेश संख्या-850/का०वि०नी०एववें०प्र०-29/पा०का०लि/18-24-का०वि०नी/87-एम०एफ दिनांक 26.07.2018 द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 36/1/78-का-2/2013 दिनांक 01.02.2013 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरुद्ध प्रत्यावेदन एवं सहबद्ध मामलो का निपटारा) नियमावली 1995 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

14. प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरांत उसमे लिए गए अंतिम निर्णय को ई०आर०पी० पर कार्मिक की वार्षिक गोपनीय आख्या में Update करते हुए, ई०मेल अथवा ई०ऑफिस के माध्यम से कार्मिक को आधिकारिक रूप से सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त, पंजीकृत डाक अथवा भौतिक रूप से सूचना प्रेषित करने सम्बन्धी कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

15. प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं उससे पूर्व के वर्षो की कारपोरेशन में प्राप्त वार्षिक गोपनीय आख्याओं के सम्बन्ध में पूर्व निहित व्यवस्थानुसार ही संसूचन एवं प्रत्यावेदन निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी।

R Kumar

(रवि कुमार)
उपसचिव (गोपन)